10

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 104/2021 — दायर दिनांक–06.10.2021

मैसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस बांगड़ नगर ब्यावर हाल नवलगढ जरिय अधिकृत अधिकारी स्वदेश सिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह जाति राजपूत निवासी उदयपुरवाटी हाल श्री सीमेन्ट ऑफिस नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

– वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र बालूराम
2. बिमला पुत्री बालूराम
3. महाबीर प्रसाद पुत्र बालूराम
4. श्रीचन्द पुत्र बालूराम
5. संतोष पुत्री बालूराम
6. सिनगारी देवी पत्नी बालूराम
   समस्त जाति जाट निवासीगण देवगांव तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
7. तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी :– श्री चन्द्रकांत शर्मा
वकील प्रति. नं. :– एक पक्षीय

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 26–07–2022

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश प्रस्तुत किया कि ग्राम देवगांव पटवार हल्का गोठडा तहसील नवलगढ की तन में भूमि खसरा नम्बर 10, 105, 21, 250, 486/30, 530/13, 532/29, 9 रकबा क्रमशः 0.05, 1.12, 1.91, 0.05, 0.09, 0.04, 0.09, 0.83 हैक्टर कुल किता 08 कुल रकबा 3.98 हैक्टर भूमि स्थित है, इस भूमि में 3/4 हिस्सा वादी का, 1/24 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 01 का, 1/24 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 2 का, 1/24 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 03 का, 1/24 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 4 का, 1/24 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 05 का, 1/24 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 06 का है तथा इसी अनुसार कब्जा काश्त है।

विवादित भूमि में 3/4 हिस्सा वादी का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 6 का है, विवादित भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 की शामलाती अविभाजित भूमि है, जिसका विधिवत बंटवारा नही हुआ है। मौके पर मौखिक विभाजन के अनु[illegible] तक विधिवत बंटवारा नही हो जाता है तब तक प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का काश्त व [illegible] जाता है।

विवादित भूमि वादी व प्रतिवादी नम्बर [illegible] जिसके प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का काश्त व कब्जा [illegible] कि किस्म बारानी है और उसमें कानूनन किस्म परिवर्तन कराये बिना व बिना रूपान्तरण करवाये निर्[illegible] कार्य नही किया जा सकता [illegible] प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 06 की नियत खराब हो गई और वे विधि [illegible] तरीके से गैर कानूनी [illegible] बिना रूपान्तरण करवाये बिना किस्म परितर्वन कराये निर्माण कार्य चालू कर दिया है तथा ईंट पत्थर बजरी सीमेन्ट डालकर दिनांक 25.09.2021 को गैर कानूनी तरीके से अवैध निर्माण चालू कर दिया है। कानूनन बिना विधिवत बंटवारा कराये शामलाती अविभाजित भूमि में बिना रूपान्तरण कराये, बिना किस्म परिवर्तन कराये उसमें निर्माण

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:30:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

कार्य करने का कोई अधिकार नही है परन्तु प्रतिवादीगण अपनी इस नाजायज हरकत मे सफल हो गये तो वादी अपार क्षति होगी व अपनी भूमि से वंचित हो जायेगा, जिसका खामियाजा आर्थिक रूप से असंभव होगा, जिसमें समय व धन की बर्बादी होगी। वादी का प्रथम दृष्टया मामला है व सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है इसलिए प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 06 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि विवादित भूमि मे निर्माण कार्य नही करे, मौके पर यथास्थिति बनाये रखे, वादी के उपयोग व उपभोग में बाधा नही पहुंचावे। ऐसी हालत मे वादी के लिय दावा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ।

उक्त वादी के लिये वादाधिकार दिनांक 25.09.2021 को प्रतिवादीगण द्वारा शामलाती अविभाजित भूमि पर विधि विरूद्ध तरीके से बिना किस्म परिवर्तन कराये, बिना रूपान्तरण कराये निर्माण कार्य चालू करने वादी द्वारा मना करने पर जबरन निर्माण कार्य करने की धमकी देने के रोज पैदा हुआ और अदालत बाला को हक समायत हासिल है।

वादी द्वारा वाद-पत्र मे अनुतोष के संबंध मे निवेदन किया कि प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 06 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि ग्राम देवगांव पटवार हल्का गोठडा की तन में स्थित भूमि खसरा नम्बर 10, 105, 21, 250, 486/30, 530/13, 532/29, 9 रकबा क्रमशः 0.05, 1.12, 1.91, 0.05, 0.09, 0.04, 0.09, 0.83 हैक्टर कुल किता 08 कुल रकबा 3.98 हैक्टर की भूमि में कोई निर्माण कार्य नही करे, इस भूमि में वादी के उपयोग व उपभोग में बाधा नही पहुचाये उक्त कृत्य ना तो स्वयं करे ना ही अपने रिश्तेदार नौकर चाकर आदि से करवावे। अन्य कोई सिद्धि जो चाही जाने से रह गई हो तो जो वादी के पक्ष में हो वह भी दिलवाई जावे।

वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 सम्यक तामिल के बावजूद इनकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से प्रकरण में तनकी कायम नही की गई। शहादत वादी ली गई। शहादत वादी में वादी स्वदेश सिंह स्वयं उपस्थित हो अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये गये जो शामिल पत्रावली है। वादी ने अपने वाद-पत्र के समर्थन मे दस्तावेजात प्रदर्श-1 ग्राम देवगांव की जमाबंदी सम्वत् 2075-2078 प्रदर्शित करवाये गये। प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर शहादत प्रतिवादीगण नही ली गई।

शहादत पेश होने पर बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वाद-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम देवगांव पटवार हल्का गोठडा तहसील नवलगढ की तन में भूमि खसरा नम्बर 10, 105, 21, 250, 486/30, 530/13, 532/29, 9 रकबा क्रमशः 0.05, 1.12, 1.91, 0.05, 0.09, 0.04, 0.09, 0.83 हैक्टर कुल किता 08 कुल रकबा 3.98 हैक्टर भूमि स्थित है, इस भूमि में 3/4 हिस्सा वादी का, 1/24 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 01 का, 1/24 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 2 का, 1/24 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 03 का, 1/24 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 4 का, 1/24 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 05 का, 1/24 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 06 का है तथा इसी अनुसार कब्जा काश्त है। विवादित भूमि में 3/4 हिस्सा वादी का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 6 का है, विवादित भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 की शामलाती अविभाजित भूमि है, जिसका विधिवत बंटवारा नही हुआ है। मौके पर मौखिक विभाजन के अनुसार काश्त व कब्जा है, कानूनन जब तक विधिवत बंटवारा नही हो जाता है तब तक प्रतिवादीगणो को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम देवगांव पटवार हल्का गोठडा तहसील नवलगढ की तन में भूमि खसरा नम्बर 10, 105, 21, 250, 486/30, 530/13, 532/29, 9 रकबा क्रमशः 0.05, 1.12, 1.91, 0.05, 0.09, 0.04, 0.09, 0.83 हैक्टर कुल किता 08 कुल रकबा 3.98 हैक्टर भूमि स्थित है, इस भूमि में 3/4 हिस्सा वादी का, 1/24 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 01 का, 1/24 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 2 का, 1/24 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 03 का, 1/24 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 4 का, 1/24 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 05 का, 1/24 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 06 का है तथा इसी अनुसार कब्जा काश्त है। विवादित भूमि में 3/4 हिस्सा वादी का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 6 का है, विवादित भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:30:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायिक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 की शामलाती अविभाजित भूमि है जो कि प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत -2078 से प्रमाणित है। वादीगण ने अनुतोष चाहा है कि ग्राम देवगांव में विवादग्रस्त स्थित भूमि खसरा नम्बर 10, 105, 21, 250, 486/30, 530/13, 532/29, 9 रकबा क्रमशः 0.05, 1.12, 1.91, 0.05, 0.09, 0.04, 0.09, 0.83 हैक्टर कुल किता 08 कुल रकबा 3.98 हैक्टर की भूमि में कोई निर्माण कार्य नही करे, इस भूमि में वादी के उपयोग व उपभोग में बाधा नही पहुचाये उक्त कृत्य ना तो स्वयं करे ना ही अपने रिश्तेदार नौकर चाकर आदि से करवाये इस संबंध में उक्त भूमि प्रदर्श–1 के अनुसार शामलाती खातेदारी की भूमि है जिसमें वादी का हिस्सा 3/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वर्णित भूमि में कोई विधिवत विभाजन नही हुआ है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अनुसार शामलाती खातेदार की भूमि प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक हिस्से पर कब्जा काश्त मान जाता है। ऐसी बिना विभाजन के विवादग्रस्त भूमि के किसी विशिष्ठ भू–भाग पर कोई कब्जा या निमार्ण कार्य होने से वादी के हक अधिकारो पर कुठाराघात होगा। विवादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की शामालती खातेदारी की भूमि होने से प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। वादी का वाद पूर्णतया साबित होने से वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। देवगांव पटवार हल्का गोठडा तहसील नवलगढ की तन में भूमि खसरा नम्बर 10, 105, 21, 250, 486/30, 530/13, 532/29, 9 रकबा क्रमशः 0.05, 1.12, 1.91, 0.05, 0.09, 0.04, 0.09, 0.83 हैक्टर कुल किता 08 कुल रकबा 3.98 हैक्टर भूमि के संबंध में प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त की भूमि में कोई निर्माण कार्य नही करे, वादी के उपयोग व उपभोग में बाधा नही पहुंचाये उक्त कृत्य ना तो स्वयं करे ना ही अपने रिश्तेदार नौकर चाकर आदि से करवावे। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:30:13 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ मुकाम बईजलास नवलगढ़
दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
अ.धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा सं.– 104/2021 **(मैसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड बनाम ओमप्रकाश आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कंवर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक **26.07.2022** निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि देवगांव पटवार हल्का तहसील नवलगढ की तन में भूमि खसरा नम्बर 10, 105, 21, 250, 486/30, 530/13, 532/29, 9 रकबा क्रमशः 0.05, 1.12, 1.91, 0.05, 0.09, 0.04, 0.09, 0.83 हैक्टर कुल किता 08 कुल रकबा 3.98 हैक्टर भूमि के संबंध में प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त की भूमि में कोई निर्माण कार्य नही करे, वादी के उपयोग व उपभोग मे बाधा नही पहुंचाये उक्त कृत्य ना तो स्वयं करे ना ही रिश्तेदार नौकर चाकर आदि से करवावे। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगेजिन.........–.......... मुबलिग.......–..........बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–.......फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.........का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **26** माह **07** सन **2022** को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	10.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:30:13 IST
Reason: SelfAttested